

# 1964 के Civil Rights Act (सिविल राइट्स एक्ट – नागरिक अधिकार कानून) के टाइटल VI के तहत आप के अधिकार

**1964 के Civil Rights Act** (सिविल राइट्स एक्ट – नागरिक अधिकार कानून) के टाइटल VI के तहत यह आवश्यक है कि युनाइटेड स्टेट्स में किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी कार्यक्रम या कार्यकलाप, जो कि संघ सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करता हो, जाति, रंग या मूल राष्ट्रियता के आधार पर अलग न रखा जाए, उसके लाभ प्रदान करने से इन्कार न किया जाए या उससे भेदभाव न किया जाए। प्रेसिडेन्शियल एग्जिक्युटिव ऑर्डर **12898** अल्पसंख्यकों और कम आय वाले लोगों के साथ परिवेशी न्याय के मुद्दे से संबंधित है। प्रेसिडेन्शियल एग्जिक्युटिव ऑर्डर **13166** अंग्रेजी में सीमित दक्षता वाले लोगों को सेवाओं से संबंधित है।

कोई भी व्यक्ति, जिसे लगता है कि उसे किसी (कार्यक्रम से) विमुख रखा गया है, उसके लाभ प्रदान नहीं किये गये हैं या उसके साथ भेदभाव किया गया है, सान फ्रान्सिस्को बे एरिया रेपिड ट्रान्ज़िट डिस्ट्रिक्ट (**San Francisco Bay Area Rapid Transit District**) के ऑफिस ऑफ सिविल राइट्स (**Office of Civil Rights – नागरिक अधिकार कार्यालय**) में लिखित शिकायत दर्ज करा सकता है। संघीय और राज्य के कानूनों के तहत आवश्यक है कि शिकायतें अंतिम कथित घटना के एक सौ अस्सी (**180**) कैलेन्डर दिनों के भीतर दायर की जाए।

**BART** के गैर भेदभाव दायित्वों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या एक टाइटल VI शिकायत दायर करने के लिए अपनी माँग यहाँ भेजें:

**San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART)**

**ATTN: Office of Civil Rights**

**300 Lakeside, Suite 1800**

**Oakland, CA 94612**

**(510)874-7333 Fax (510) 464-7587**

**officeofcivilrights@bart.gov**

शिकायत फॉर्म **BART** वेबसाइट

[www.bart.gov/titlevi](http://www.bart.gov/titlevi)

से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

**टाइटल VI ही कानून है**

